न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18 सन् 2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा

————प्रार्थी

बनाम

श्री कैलाश पुत्र मिश्री जाट निवासी मसूदा तहसील मसूदा

————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0काश्त0अधि0

आदेश दिनांक 31.03.2021

संक्षिप्तः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया मौजा ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार हल्का मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा की खसरा नंबर 5240/3831 की व 5253/3850 भूमि राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी के नाम खातेदार है। उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम नामान्तकरण संख्या 253 जरिये नियमन होकर जमाबंदी में दर्ज हुई। मौके पर अप्रार्थी की पैतृक भूमि खसरा नंबर 5243/3832 व 5242/3832 स्थित है। अप्रार्थी के खसरा नंबर 5253/3850 की तरमीम पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 5242/3852 के लगती हुई हो रखी है, जो कि मौका नक्शा अनुसार है। अप्रार्थी के खसरा नंबर 5241/3831 की तरमीम अप्रार्थी की पुश्तैनी भूमि के लगती न होकर सिवायचक भूमि खसरा नंबर 5241/3831 के मध्य में की गई है जो कि पुश्तैनी भूमि से काफी दूर है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि खसर नंबर 5240/3831 की तरमीम अप्रार्थी की पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 5242/3832 व 5243/3832 के लगती हुई कब्जे काश्त की भूमि पर किया जाना उचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जवाब हेतू पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी की और से पैरा. सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी ने कथन किया कि जो न्यायालय को उचित लगे वह आदेश पारीत करे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खसरा नंबर 3831/2 व 3850/2 सिवायचक खाते में दर्ज होना अंकित है। एंव मौका पर्चा दिनांक 01.01.2020 में भी खसरा नंबर 5240/3831 की तरमीम सिवायचक खसरा नंबर 5241/3831 के मध्य में की हुई है, जबकि मौके पर उक्त खातेदार अप्रार्थी का कब्जा काश्त खसरा नंबर 5242/3832 व 5243/3832 के लगती हुई भूमि पर होना अंकित किया गया है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्धारा जो रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उसके तहत अप्रार्थी का कब्जा भी उसकी पुश्तैनी आराजी के समीप होना पाया जाता है। जबकि अप्रार्थी ने प्रार्थी द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर कोई खण्डन भी नही किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः मौजा मसूदा द्वितीय में स्थित खसरा नंबर 5241/3831 को राजस्व मानचित्र से तरमीम किया जाकर अप्रार्थी की पुश्तैनी आराजी खसरा नंबर 5242/3832 व 5243/3832 के समीप तरमीम किये जाने का आदेश पारीत किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0